

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 80 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आईसीआईसीआई होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी अनुज रावल
रजिस्टर्ड कार्यालय:- बैंक टॉवर, चकली सर्किल के पास, पुराना पादरा रोड़, वड़ोदरा,
 गुजरात-390007

कॉरपोरेट कार्यालय:- बैंक टॉवर, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई, महाराष्ट्र-400051

रिजनल कार्यालय पता:- जयपुर स्टॉक एक्सचेंज भवन, ब्लॉक नम्बर 4, जेएलएन मार्ग,
 मालवीय नगर, जयपुर, राज.-302017

शाखा कार्यालय:- चतुर्थ तल, भास्कर हाईट्स बिल्डिंग, फ्रंट फेसिंग ऑफिस नं. 1,
 कल्याण हास्पिटल के पास, सिल्वर जुबली रोड़, सीकर, राज.-332001

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **नितेश कुमार गिनोडिया पुत्र परमेश्वर लाल गिनोडिया**

प्रथम पता:-342 रानीसती मन्दिर के सामने, सीकर, राजस्थान-332021

द्वितीय पता:- रानीसती के पास, चैनपुरा रोड़, सीकर, राजस्थान-332001

तृतीय पता:- फ्लेट संख्या जी-4, ग्राउंड फ्लोर, उमंग अपार्टमेंट सोनी धर्मशाला पोलो
 ग्राउंड के पास, सीकर, राजस्थान 332001

2. **मनीषा पत्नी नितेश कुमार गिनोडिया**

प्रथम पता:- फ्लेट संख्या जी-4, ग्राउंड फ्लोर, उमंग अपार्टमेंट सोनी धर्मशाला पोलो
 ग्राउंड के पास, सीकर, राजस्थान 332001

द्वितीय पता:- फ्लेट संख्या 303, थर्ड फ्लोर, सुख सागर अपार्टमेंट, राजेन्द्र आयुर्वेदिक
 हॉस्पिटल के पास, सीकर, राजस्थान 332001

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
 financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 11 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मंथक कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **नितेश कुमार गिनोडिया पुत्र परमेश्वर लाल गिनोडिया व मनीषा पत्नी नितेश कुमार गिनोडिया** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **आवासीय सम्पत्ति फ्लेट संख्या-जी 4 ग्राउंड फ्लोर, उमंग अपार्टमेंट, सोनी धर्मशाला पोलो ग्राउंड के पास, सीकर, राजस्थान 332001** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है। जिसका **कुल बिल्टअप क्षेत्रफल 865.37 वर्गफीट** है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹13,00,000/- (अक्षरे रूपये तेरह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **14.08.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **14.08.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **नितेश कुमार गिनोडिया पुत्र परमेश्वर लाल गिनोडिया व मनीषा पत्नी नितेश**

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कुमार गिनोडिया की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति प्लेट संख्या-जी 4 ग्राउंड फ्लोर, उमंग अपार्टमेंट सोनी धर्मशाला पोलो ग्राउंड के पास, सीकर, राजस्थान 332001 में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है। जिसका कुल बिल्टअप क्षेत्रफल 865.37 वर्गफीट है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी विर्रीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 11 मई, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

